

२/१/२१

प्राथमिकी पेश हुई।
आज हम दीवार आदि का काम
में व्यस्त है। जहां इस्तेमाल होकर
प्राथमिकी आइसप्लू को पेश है।

०८/०८/२१

प्राथमिकी काशी/ शाही द्वारा मूल कार्य पर जोड़ने राकीगाम
विद्यालय स्कारिक कर कर्तव्य है कि लगे हुए कंकाल
प्रकार में भी एक कोठे तनुकेत वेणु नहीं रहा है।
जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक ०१/२१/१९ के जारी अंतर्ग्रह
विधेयाना निरस्त की जाकर कंकाल प्रकार जोड़ने
राकीगाम विद्यालय स्कारिक किया जाता है प्रत्येकी विधीक
इसका इस्तेमाल इस्तेमाल है।



सहायक कलेक्टर, गढ़वाला जंजी

